

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2020

क्रमांक 947/डो.एम.सी./व-07/2020/चार

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश


विषय :- कोविड - 19 के कारण सहायता जुटाने हेतु सभी शासकीय सेवकों के अप्रैल 2020 के वेतन से कटौती की जाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा किये जाने के संबंध में।

.....

प्रदेश कोरोना वैश्विक महामारी (कोविड-19) के संकट से गुजर रहा है ऐसी स्थिति में प्रदेश में आई गंभीर आपदा से मजबूती से निपटने हेतु प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा उनके वेतन से एक दिन के वेतन की कटौती की जाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करने का अनुरोध किया गया है। इसी अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों के माह अप्रैल के वेतन से (जो कि मई माह में देय होगा) एक दिन के मूल वेतन की राशि की कटौती की जाये। यदि कोई शासकीय सेवक इससे अधिक या कम राशि की कटौती अथवा असहमति व्यक्त कराना चाहता है तो तदनुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को लिखित में अवगत करा सकता है।

2/ कृपया उपरोक्तानुसार, कटौती करते हुये राशि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सहायता कोष हेतु निर्धारित भारतीय स्टेट बैंक, वल्लभ भवन शाखा, खाता क्रमांक 10078152483 - आई.एफ.एस.सी. कोड - SBIN0001056 में जमा किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



संचालक बजट

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

निरन्तर . . . . . 2

/// 2 ///

क्रमांक 94786/डी.एम.सी./ब-07/2020/चार

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2020

प्रतिलिपि:-

01. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राज्यभवन, भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
03. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
04. महालेखाकार(लेखा और हकदारी) मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
05. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
06. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
07. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
08. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
09. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोप, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
11. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
12. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
13. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. संभागीय / जिला पेंशन अधिकारी, मध्य प्रदेश।
16. मध्य प्रदेश शासन के वित्त अधिकारी (स्टाईड सूची अनुसार)।
17. गार्ड फाईल  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिपित।



(रूपेश कुमार पठवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग